



## POLICE COMMISSIONERATE



### GAUTAM BUDH NAGAR

#### सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनांक 07-10-2024

थाना बिसरख पुलिस व जिला आपूर्ति की संयुक्त टीम के द्वारा घरेलू गैस का अवैध कारोबार करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 41 घरेलू सिलेन्डर व 05 कॉमर्शियल सिलेन्डर कुल 46 सिलेन्डर व अन्य सामान बरामदा

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 07-10-2024 को थाना बिसरख पुलिस व जिला आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा छापा मारा गया तो अभियुक्त विरेन्द्र कुमार, संजय कुमार व सोनू कुमार की एजेन्सियों से कुल 41 घरेलू गैस सिलेन्डर व 05 कॉमर्शियल गैस सिलेन्डरों की बरामदगी व अन्य अवैध सामान की बरामदगी की गयी तथा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के अनुमति के उपरान्त रजनी चौधरी पूर्ति निरीक्षक दादरी की लिखित तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 745/2024 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाम 1. विरेन्द्र पुत्र राजवीर निवासी ग्राम नया हैबतपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर 2. संजय कुमार पुत्र कंछीराम निवासी ग्राम नया हैबतपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर 3. सोनू पुत्र कंछीराम निवासी ग्राम नया हैबतपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर पंजीकृत करते हुये अभियुक्त विरेन्द्र पुत्र राजवीर को मौके से गिरफ्तार किया गया है।

#### **अपराध करने का तरीका--**

- अभियुक्त विरेन्द्र, संजय व सोनू निवासी गण ग्राम नया हैबतपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर के द्वारा घरेलू /कॉमर्शियल गैस सिलेन्डर को 840/- रुपये में खरीदकर जरूरतमंदों को 950/- रुपये में बेचना।
- गैस सिलेन्डरों से गैस रिफिलिंग कर 90 रुपये प्रति किलो के दर से बेचना।
- आवासीय घरों के अन्दर गैस सिलेन्डरों को संगृहित कर कालाबाजारी किया जाना।

#### **अभियुक्त का विवरण --**

1. विरेन्द्र पुत्र राजवीर निवासी ग्राम नया हैबतपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

#### **बरामदगी का विवरण--**

1. 41 गैस सिलेन्डर घरेलू उपयोग हेतु
2. 05 कॉमर्शियल गैस सिलेन्डर